



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

E-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक :-एफ. 7 (4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2025-19470-6757218/पार्ट-1

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- प्रवेश नीति सत्र 2025-26 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट पर अपलोड की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति के अनुरूप ही महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारु रूप से संचालित करें।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. सयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, राजस्थान।
8. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

Signature valid



Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
प्रवेश नीति 2025–26
(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)



आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश नीति	
	प्रथम भाग : प्रस्तावना एवं उद्देश्य	2-3
	द्वितीय भाग : स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के नियम	4-7
	तृतीय भाग : स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम	8-11
	चतुर्थ भाग : विधि संकाय में प्रवेश के नियम	12-13
	पंचम भाग : सभी संकायों हेतु सामान्य नियम	14-21
	षष्ठम भाग : आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	22-35

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

प्रथम भाग

प्रस्तावना एवं उद्देश्य:-

राष्ट्र के हित में शिक्षा, मानव क्षमता के उन्नयन, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण एवं उत्कृष्ट शिक्षा तथा युवाओं को समर्थ बनाने में योगदान देने वाली उच्च शिक्षा हेतु जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्य के अनुरूप और राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रवेश नीति संचरित है। प्रवेश नीति की संरचना के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं:-

1. प्रवेश प्रक्रिया सरल, सहज, सुगम एवं पारदर्शी हो इस उद्देश्य से समस्त राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर/पूर्वार्द्ध की कक्षाओं में ऑन लाईन प्रक्रिया द्वारा प्रवेश कार्य होगा। स्नातक तृतीय व पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर/उत्तरार्द्ध कक्षाओं में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया संचालित रहेगी।
2. उच्च शिक्षा में गुणात्मक स्तर बनाये रखने के लिये स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में सम्बद्ध विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा नियामक संस्थानों के मानदण्डों को दृष्टिगत रखकर पात्रता एवं न्यूनतम अर्हता संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।
3. समावेशी विकास नीति के अन्तर्गत-
 - (i) सत्र 2020-21 से अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिये जा रहे हैं।
 - (ii) सत्र 2024-25 से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने सम्बन्धी नियमों में राज्य सरकार ने शिथिलता प्रदान करते हुए किसी भी अकादमिक सत्र में प्रवेश हेतु अन्तराल सम्बन्धी नियमों को पूर्णतः निरस्त कर दिया है।
 - (iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) में अवस्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या मानदण्ड में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।
 - (iv) महिला नामांकन दर में अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु सहशिक्षा महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थी को नियम 6.7.10 (अ) के अन्तर्गत 3 प्रतिशत बोनस दिये जाने का प्रावधान है, ताकि उच्च शिक्षा की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को नियमित उच्च शिक्षण के अवसर प्राप्त हो सके।
 - (v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग (Most Backward Class) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश नीति में राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

- (vi) पाक विस्थापित, कश्मीर प्रवर्जित एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत/राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रवेश नीति में विशेष प्रावधान किये गये हैं।
- (vii) ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों को ससम्मान उच्च शिक्षण संस्थाओं में (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों में) प्रवेश मिले, इस हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये विशेष निर्णय के अन्तर्गत उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश **देय है।**
- (viii) भारतीय सेना व केन्द्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों व पूर्व कार्मिकों के पुत्र/पुत्री/पत्नी को प्रवेश हेतु 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के साथ-साथ शहीदों के आश्रितों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश का प्रावधान है।
- (ix) समग्र व्यक्तित्व विकास से सम्बद्ध सहशैक्षणिक, खेलकूद, समाज सेवा आदि से संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रवेश हेतु प्राथमिकता तथा बोनस अंकों का प्रावधान है।
- (x) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए एवं कौशल प्रशिक्षण को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को कक्षा बारहवीं के समकक्ष माना गया है।
- (xi) प्रत्येक महाविद्यालय में गरीब विद्यार्थियों के लिए आचार्यों/सह/सहायक आचार्यों द्वारा बुक बैंक की स्थापना।
- (xii) जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश **देय है।**
- (xiii) शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों (सहशिक्षा) में प्रवेश में कुल स्वीकृत सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें (क्षैतिज) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (xiv) शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों में आत्मरक्षा की उच्चतम श्रेणी ब्लैक बेल्ट (Black Belt) योग्यताधारी छात्राओं को प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु 05 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे।
- (xv) शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों में मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अल्प आय वर्ग, लघु/सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवारों के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की राजकीय निधि कोष की देय राशि माफ होगी।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

द्वितीय भाग

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के नियम

2.1 प्रवेश मानदण्ड एवं पात्रता

तालिका 2.1

स्नातक तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु मानदण्ड

अभ्यर्थियों का प्रकार	तीन वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम पात्रता
राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी (पंचम भाग के नियम-2 में परिभाषित) जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो।	कला संकाय—45 प्रतिशत/समकक्ष CGPA वाणिज्य संकाय—45 प्रतिशत/समकक्ष CGPA विज्ञान संकाय—48 प्रतिशत/समकक्ष CGPA
राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो।	60 प्रतिशत/समकक्ष CGPA

*अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त बोर्ड से नियमित या स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण 10+2 या समकक्ष परीक्षा है।

नोट— स्नातक चार वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमानुसार होंगे।

कक्षा 12 की समकक्षता हेतु—

- (1) कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान /राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12 वीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
- (2) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आई.टी.आई. की अंतिम वर्ष की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आई.टी.आई. करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

- (3) 10 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात) कर चुके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।
- (4) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा किसी मान्यता प्राप्त पोलिटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

नोट :-

- (i). ITI (NCVT) एवं RBSE/RSOS बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष होंगे।
- (ii) उक्त बिन्दुओं में वर्णित 12वीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय (गणित वर्ग) का विद्यार्थी माना जायेगा।

2.1.1 सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय के स्वीकृत वर्ग (विधि संकाय को छोड़कर) में स्थान रिक्त रह जाये तो, उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर रिक्त स्थानों को वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा। इसके लिए उक्त न्यूनतम पात्रता प्रतिशत से 3 प्रतिशत कम तक के अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे। फिर भी महिला महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने पर न्यूनतम उत्तीर्णांक तक प्रवेश देय होगा।

तालिका 2.2

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में अभ्यर्थियों की संकायानुसार पात्रता

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदित संकाय	उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का संकाय
कला/वाणिज्य	कला/वाणिज्य/विज्ञान/कृषि संकाय
विज्ञान- गणित वर्ग	केवल विज्ञान संकाय- गणित समूह*
विज्ञान- जीव विज्ञान वर्ग	केवल विज्ञान संकाय- जीव विज्ञान समूह*

*अर्हकारी परीक्षा में गणित/जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी दोनों विषय समूहों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2.1.2 कृषि पाठ्यक्रम से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जावेगा, परन्तु पात्रता तालिका 2.1 के अनुसार ही रहेगी।

2.1.3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (वोकेशनल कोर्स) में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में ही प्रवेश दिया जा सकेगा, ऐसे

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

अभ्यर्थियों की प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत अंक में से 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।

- 2.1.4 जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा अतिरिक्त विषय लेकर उत्तीर्ण की है उन अभ्यर्थियों की प्रवेश वरीयता निर्धारण हेतु सर्वाधिक अंकों वाले 05 विषयों के प्राप्तांकों को जोड़ा जायेगा, जिसमें एक भाषा का होना अनिवार्य है। अन्य 04 विषयों में अधिकतम एक भाषा का और चयन किया जा सकता है। विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों के गणित/जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश चाहने पर उनकी प्रवेश वरीयता निर्धारण करते समय श्रेष्ठ पांच विषयों के प्राप्तांकों में एक भाषा तथा वांछित विषय (गणित/जीव विज्ञान) के प्राप्तांकों को सम्मिलित कर प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जावेगी।

2.2 वर्ग में प्रवेश सीमा

- 2.2.1 कला एवं वाणिज्य संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 80 विद्यार्थियों एवं विज्ञान संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

- 2.2.2 (i) स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में किसी कक्षा/विषय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम/स्वीकृत सीटों के 25 प्रतिशत से कम रहने की स्थिति में उस कक्षा/विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा तथा विद्यार्थियों को अन्य वांछित कक्षाओं में प्रवेश देकर उनके द्वारा जमा करवाये गये शुल्क को समायोजित कर दिया जायेगा और इसकी सूचना प्राचार्य द्वारा आयुक्त/निदेशक कॉलेज शिक्षा को दी जायेगी।

(ii) समस्त महिला महाविद्यालयों के समस्त विषयों में तथा सहशिक्षा महाविद्यालयों में कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जैनोलाजी, संगीत, सिन्धी, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र विषयों तथा टी.डी.पी. (टेक्सटाईल-डाईंग एण्ड प्रिंटिंग) की स्नातक पार्ट प्रथम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 10 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण वर्तमान सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा।

(iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों के लिए (i) एवं (ii) में निर्धारित न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।

2.3 अन्तराल के पश्चात् प्रवेश

अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल संबंधी प्रावधान विलोपित कर दिया गया है। (आयुक्तालय का आदेश क्रमांक एफ7(4)प्रवेशनीति/अकाद/आकाशि/2024-03395 राजकाज नं. 8718491 दिनांक 08.07.2024)

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

2.4 संकाय/विषय में परस्पर परिवर्तन

- 2.4.1 किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब इच्छित संकाय की कक्षा में स्थान रिक्त हों तथा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत इच्छित संकाय/विषय में संबद्धक वर्ग में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम न हों।
- 2.4.2 संकाय परिवर्तन इच्छित संकाय में प्रवेश की पात्रता पूरी होने पर संभव होगा। **एक** पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी का **दूसरे पाठ्यक्रम** में परिवर्तन तभी हो सकेगा जबकि बिन्दु 2.4.1 के साथ परिवर्तन से **पूर्व पाठ्यक्रम** में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम/**स्वीकृत सीटों के 25 प्रतिशत से कम** न हों।
- 2.4.3 संकाय/विषय परिवर्तन के लिये अनुमति, केवल विषय संयोजन (Subject combination) में स्थान उपलब्ध होने पर एक बार ही दी जावेगी। रिक्त स्थानों पर वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- 2.4.4 विषय/संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि (प्रवेश कार्यक्रम में उल्लेखित) में 200/- रु. शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने होंगे।
- 2.4.5 संकाय/विषय में परिवर्तन सम्बद्धक विश्वविद्यालयों के प्रावधानों के अन्तर्गत ही हो सकेगा।**

2.5 समान प्रतिशत होने पर वरीयता क्रम

- 2.5.1 यदि किसी कक्षा/विषय में बोनस अंक प्राप्त अभ्यर्थी और बोनस रहित अभ्यर्थी दोनों के वरीयता सूची में समान प्रतिशत हों तो उनमें बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.2 यदि बिन्दु 2.5.1 में भी समान होने पर कक्षा 12वीं में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.3 बिन्दु 2.5.2 में भी समान होने पर माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.4 बिन्दु 2.5.3 में भी समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2.6 कृषि पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में प्रवेश

कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.टी.) के आधार पर सम्बन्धित महाविद्यालयों के कृषि संकाय के **प्रथम सेमेस्टर** में प्रवेश देय होगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

तृतीय भाग

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम

3.1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

तालिका 3.1
प्रवेश हेतु मानदण्ड एवं पात्रता

क्र. सं.	अभ्यर्थियों का प्रकार	पाठ्यक्रम	प्राप्तांक मानदण्ड	पात्रता
(i)	राजस्थान में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.ए./ एम.कॉम.	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	समस्त संकायों के अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण
		एम.एससी.	अर्हकारी परीक्षा* अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	विज्ञान संकाय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण— आवेदित विषय के साथ विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण।
(ii)	राजस्थान राज्य के बाहर अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	सभी संकाय	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक	एम.ए./ एम.कॉम.के लिये अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण तथा एम.एससी. के लिये आवेदित विषय के साथ विज्ञान संकाय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण।

* अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+ 2+ 3/4 (3 वर्ष या तीन वर्ष से अधिक की) स्नातक परीक्षा से है।

- 3.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पात्रता हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।
- 3.1.2 स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु महिला अभ्यर्थियों तथा तालिका 3.1 (ii) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.3 जन जातीय उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः उसी पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

3.1.5 किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय महाविद्यालय में अर्हकारी स्नातक परीक्षा उपरान्त स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में नियमित प्रवेश का अवसर दो बार (दो स्नातकोत्तर विषयों में अथवा एक स्नातकोत्तर विषय एवं विधि स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) या स्नातकोत्तर डिप्लोमा से अधिक नहीं दिया जायेगा।

3.1.6 त्रिवर्षीय विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य/ऑनर्स स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।

3.1.7 (अ) पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर अन्तराल के पश्चात् उत्तरार्द्ध में प्रवेश के संबंध में **सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।**

(ब) पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए अन्तराल से सम्बन्धित कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

3.1.8 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण विद्यार्थी द्वारा अगले सत्र में बी.एड. करने के पश्चात् महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेने पर विद्यार्थी को टी.सी. के अभाव में नियमानुसार अस्थाई प्रवेश दिया जावेगा। विद्यार्थी से एक शपथ पत्र लिया जावेगा कि वह गत सत्र में बी.एड का नियमित विद्यार्थी रहा है तथा परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर वह टी.सी. प्रस्तुत कर देगा अन्यथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

3.2 कक्षा में वर्ग/विषय/पेपर्स में स्थानों की सीमा :

3.2.1 विश्वविद्यालय संबद्धता को दृष्टिगत रखकर, कला एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में अधिकतम 60 एवं न्यूनतम 20/स्वीकृत सीटों का 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

3.2.2 विज्ञान संकाय के विषयों के वर्ग में आयुक्तालय/सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

3.2.3 महिला महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 है।

3.2.4 वाणिज्य संकाय के सभी विषयों, कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, जैनेलॉजी, संगीत, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, सिन्धी, फारसी, पंजाबी एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं में एवं PGDCA में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 20 के स्थान पर 10 है।

3.2.5 जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को बिन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.4 तक में न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी।

3.2.6 बिन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.5 तक निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम प्रवेश रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित रहेगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

3.2.7 सभी संकायों के पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध में विद्यार्थियों को वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का आवंटन वरीयता क्रम में किया जावेगा। किसी प्रश्न पत्र/शाखा में इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम होने पर वह वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित रहेगा।

3.2.8 विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर स्वीकृत स्थानों की संख्या जहाँ 20 से कम है, वहाँ संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक कार्यभार नहीं बढ़ने की शर्त पर स्थानों की संख्या 20 तक की जा सकती है लेकिन किसी भी वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा में विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए।

3.3 वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया

3.3.1 समान संकाय में प्रवेश हेतु :-

प्रत्येक संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की योग्यता का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगा:-

- (i) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय होने पर : अभ्यर्थी के द्वारा स्नातक कोर्स के पार्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के श्रेणी (डिवीजन) निर्धारण हेतु मान्य समस्त विषयों के कुल प्राप्तांकों में आवेदित विषय में उपर्युक्त कक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ कर कुल प्राप्तांक निकाले जायेंगे तथा दोनों के पूर्णांकों के योग के आधार पर प्राप्तांक प्रतिशत निकाला जायेगा। भले ही ये परीक्षाएँ भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की गई हों।
- (ii) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय न होने पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करने की स्थिति में अन्य विषय वाले अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश वरीयता सूची बनायी जायेगी। दोनों वर्गों की सम्मिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- (iii) उक्त दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए :
 - (अ) जिन विषयों की प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की परीक्षा होती है, उनमें दोनों का योग स्वीकार्य होगा।
 - (ब) यदि प्रवेशार्थी को कोई बोनस प्रतिशत देय है तो उसे जोड़कर कुल योग प्रतिशत से वरीयता का निर्धारण किया जायेगा।

3.3.2 भिन्न संकाय में प्रवेश हेतु

- (i) भिन्न संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पात्रता प्राप्तांक सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों के अनुसार होंगे।
- (ii) भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर समान व भिन्न संकाय के अभ्यर्थियों की सम्मिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश देय होगा किन्तु भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थियों की

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

प्रवेशित सूची में संख्या, प्रत्येक कैटेगरी के लिए निर्धारित स्थानों की अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही हो सकती है।

- (iii) समान संकाय के अभ्यर्थी कम होने की स्थिति में भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी होने पर इनको 20 प्रतिशत से अधिक स्थानों पर प्रवेश आयुक्तालय की अनुमति से देय होगा।
- (iv) जिन पाठ्यक्रमों में भिन्न संकाय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र है तथा जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ हो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत सीटें withheld रखते हुये समान संकाय के अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची जारी की जा सकेगी। तीनों संकायों के स्नातक पार्ट तृतीय के परिणाम आने पर बिन्दु (ii) एवं (iii) के अनुसार अन्तिम प्रवेश सूची जारी की जावेगी।

3.3.3 ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रवेश

ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यह लाभ उन अभ्यर्थियों को देय नहीं होगा जिन्हें पास कोर्स में उच्च प्रतिशत के कारण ऑनर्स की उपाधि दी गई हो। सहायक (Subsidiary) विषय में प्रवेश लेने पर भी यह लाभ देय नहीं होगा।

3.3.4 यदि किसी अभ्यर्थी के अंक सुधार की परीक्षा के बाद अंकों में वृद्धि होती है तो उसकी योग्यता के निर्धारण के लिए बड़े हुए अंक ही विचारणीय होंगे।

3.3.5 दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो वरीयता क्रम में

- (i) बोनस व बोनस रहित अभ्यर्थियों में बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा ।
- (ii) आवेदित विषय में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा ।
- (iii) अधिक उम्र वाला अभ्यर्थी ऊपर होगा।

3.4 एक विषय से दूसरे विषय में स्थानान्तरण

यदि किसी अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक विषयों की प्रवेश सूची में आ जाता है तो वह इनमें से किसी भी विषय में शुल्क जमा करा कर प्रवेश ले सकता है। यदि उसका नाम बाद में जारी की गयी किसी अन्य विषय की प्रवेश सूची में आता है तो उस विषय में 200 रुपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवाकर प्रवेश ले सकेगा और उसके द्वारा पूर्व में जमा कराया गया शुल्क समायोजित हो जायेगा। किन्तु नवीन प्रवेशित विषय में शुल्क अधिक होने पर अन्तर राशि भी जमा करवानी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

चतुर्थ भाग

विधि संकाय में प्रवेश के नियम

नोट : विधि संकाय में प्रवेश बार कौंसिल ऑफ इण्डिया/सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार होंगे।

- 4.1 विधि स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के मानदण्ड
- 4.1.1 वह अभ्यर्थी जिसने किसी भी मान्य विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि कला/विज्ञान/वाणिज्य/भेषज (मेडीसन)/अभियांत्रिकी/नर्सिंग/पशुचिकित्सा/कृषि अथवा शास्त्री/आचार्य/आयुर्वेदाचार्य/आयुर्वेद वाचस्पति या इसके समकक्ष उपाधि न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों से उत्तीर्ण जिसे विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त उपाधि के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए मान्यता दी हो, निम्नांकित मानदण्डों के अनुसार विधि स्नातक के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का पात्र होगा।
- 4.1.2 इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा संबंधित प्रावधान बार कौंसिल आफ इण्डिया के द्वारा प्रवेश के समय प्रभावी नियमों के अनुसार होंगे। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में से जिसमें प्राप्तांक अधिक हो वह प्रवेश हेतु मान्य होंगे।
- 4.1.3 विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि के आधार पर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल स्थानों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- 4.1.4 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त पाठ्यक्रम में उप वर्णित अर्हकारी परीक्षा में पात्रता अंक प्रतिशत में छूट बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के नियमानुसार देय होगी।
- 4.1.5 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।
- 4.1.6 अर्हकारी परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फोटो स्टेट प्रमाणित अंकतालिका के आधार पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश के लिए पात्र माना जा सकेगा। यह प्रावधान जिस विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन पद्धति लागू है उनके लिये ही मान्य होगा। अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लेना होगा कि अर्हकारी परीक्षा में अंक कम हो जाने की स्थिति में वरीयता सूची से बाहर हो जाने पर उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

- 4.1.7 विधि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के एक वर्ग में विद्यार्थियों के प्रवेश की अधिकतम सीमा 60 होगी।
- 4.1.8 किसी अभ्यर्थी की प्रवेश पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांकों से एक अंक कम होने पर भी उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.1.9 विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश की वरीयता निर्धारण में भाग छः में अंकित रियायतें एवं लाभ सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।
- 4.1.10 बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार वे समस्त आवेदक जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा बुनियादी योग्यता पास करने के उपरान्त दूरस्थ अथवा पत्राचार माध्यम से उत्तीर्ण की हो, तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।
- 4.1.11 विधि संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में न्यूनतम 1 स्थान कश्मीरी घाटी विस्थापित और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के बच्चों हेतु आरक्षित रहेगा।
- 4.1.12 विधि स्नातक की किसी भी कक्षा में कम उपस्थिति होने पर रोके गये विद्यार्थी को तीन वर्षों में प्रवेश का मात्र एक अवसर आगामी सत्र में दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थी को विधि प्रथम वर्ष में पुनः प्रवेश हेतु उस सत्र की वरीयता सूची में उसके स्थानानुसार ही प्रवेश दिया जायेगा।

4.2 विधि स्नातकोत्तर (एल.एल.एम.) में प्रवेश की पात्रता

अर्हकारी परीक्षा (विधि स्नातक) में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।

4.3 विधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालय के संबंधित नियमों द्वारा शासित होंगे। सम्बद्धक विश्वविद्यालय में कोई प्रावधान नहीं होने की स्थिति में इनमें प्रवेश के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश (256) का पालन किया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

पंचम भाग

प्रवेश के सामान्य नियम

5.1 प्रवेश अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार :

प्राचार्य निम्नांकित कारणों से अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकता है –

- 5.1.1 जिसने अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो।
- 5.1.2 जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान-बूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो।
- 5.1.3 जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय शुल्क जमा नहीं कराया हो।
- 5.1.4 जिसका प्रवेश सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो।
- 5.1.5 जो पूर्व वर्षों में किसी दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो।
- 5.1.6 परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो।
- 5.1.7 जिसके विरुद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो।
- 5.1.8 जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा किसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो।
- 5.1.9 जो वर्तमान सत्र में प्रवेश के समय अथवा उसके बाद किसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली-गलौच करने का दोषी पाया गया हो।
- 5.1.10 जो विद्यार्थी रैगिंग गतिविधि में लिप्त पाया गया हो।

नोट :- अभ्यर्थी के दस्तावेजों में शंका होने पर प्राचार्य विधि-सम्मत कार्यवाही करने को स्वतंत्र होंगे।

5.2 राजस्थान का निवासी वह है :-

- 5.2.1 जो राजस्थान में जन्मा हो (जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर)।
- 5.2.2 जिसके माता/पिता पिछले पांच वर्ष से राजस्थान में निरन्तर निवास कर रहे हों। (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर अथवा तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

- 5.2.3 जो राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के किसी उपक्रम अथवा राजस्थान सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.4 जो केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.5 जो सेना (तीनों अंग) में या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो अथवा यदि किसी सैनिक व अधिकारी की नियुक्ति कुटुम्ब विहीन स्थान पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो ऐसे सैनिक/अधिकारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.6 जो सेना (तीनों अंग) या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल में कार्यरत एवं राजस्थान के मूल निवासी का पुत्र/पुत्री हो (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- 5.2.7 ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के निवासी से विवाह होने के पश्चात् राजस्थान में रह रही है। (शपथ पत्र/विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

5.3 स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर/स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर/उत्तराद्ध स्तर पर एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया

- 5.3.1 विधि संकाय सहित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया लागू है। स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर/स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर/उत्तराद्ध में नियमित विद्यार्थियों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके तहत अभ्यर्थी को सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन करना होता है। यदि गत सत्र का नियमित विद्यार्थी वर्तमान सत्र में अगली कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक सत्र का शुल्क ई-मित्र पर जमा करा देता है तो पात्रता शर्तों की पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित माना जावेगा। यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जो :-

- स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करवा चुके हो।
- स्वयं लिखित में प्रवेश लेने से स्पष्ट इन्कार कर दें।
- प्रवेश नीति के पंचम भाग के बिन्दु 5.1 में उल्लेखित शर्तें पूर्ण नहीं करते हों।

- 5.3.2 सभी प्रवेश योग्य विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र में फीस निर्धारित अवधि तक ई-मित्र पर जमा करवानी होगी। अर्हकारी परीक्षा में **Not Promoted** विद्यार्थी, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता, उनको उसी कक्षा में सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त सीटों (Over & The Above) पर देय होगा तथा उनके द्वारा जमा कराई गई राशि समायोजित कर दी जाएगी।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

5.3.3 यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुल्क जमा करवाते समय तत्संबंधी (आय/नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र आदि) अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रमाण पत्र/पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा किया जायेगा एवं इसके उपरान्त यदि बाद में रियायत संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रियायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

5.3.4 स्नातक **तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर** में स्वयंपाठी/अन्तराल के उपरान्त/स्थानान्तरण के कारण महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश आवेदन पत्र (CAF- कॉमन एडमिशन फॉर्म) वांछित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना होगा। इन आवेदन पत्रों पर प्राचार्य नियमानुसार विचार कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।

5.4 **Not Promoted** विद्यार्थियों का प्रवेश

5.4.1. **Not Promoted** नियमित विद्यार्थी को उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश **स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त सीटों (Over & The Above)** पर देय होगा।

5.4.2 नियमित प्रविष्ट विद्यार्थी **बिन्दु संख्या 5.3.1 में उल्लेखित स्थितियों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त सीटों (Over & The Above) पर एनईपी-2020 के परिपेक्ष्य में सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।**

5.4.3 यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय प्रतियोगिता/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया हो या अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता टीम का सदस्य या एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो तो उसको उसी कक्षा में पुनः प्रवेश/नवीनीकरण किया जा सकेगा। यदि ऐसे विद्यार्थी ने अगली कक्षा में बिना परीक्षा परिणाम घोषित हुए शुल्क जमा करवा दिया हो तो परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उसके शुल्क का समायोजन किया जा सकेगा।

5.5 परीक्षा परिणाम में पूरक घोषित अभ्यर्थियों का प्रवेश

5.5.1 ऐसे अभ्यर्थी अग्रिम कक्षा में निर्धारित तिथि तक अन्तरिम प्रवेश ले सकेंगे, यदि उन्होंने प्रवेश की अन्तिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

5.5.2 पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में पात्रता के अनुसार अन्तरिम प्रवेश दिया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

- 5.5.3 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता एवं वरीयता निर्धारण के लिये पूरक परीक्षा के विषय/पेपर में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के स्थान पर न्यूनतम उत्तीर्णांक जोड़े जायेंगे।
- 5.5.4 पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तरिम प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा उसे कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।
- 5.6 पुनर्मूल्यांकन या विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश इन परिस्थितियों में परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर विद्यार्थी को सम्बद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि या उसमें प्रदान की गई शिथिलता के आधार पर महाविद्यालय में प्राचार्य के स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले यदि उस सत्र का शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा दिया हो तथा इसे वापिस नहीं लिया हो तो पुनर्मूल्यांकन के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर वह कक्षा में प्रवेशित माना जायेगा।

5.7 स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में स्वयंपाठी अभ्यर्थियों की प्रवेश पात्रता

तालिका 5.7

प्रवेश कक्षा	आवेदक की पात्रता	प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत
स्नातक तृतीय व पंचम सेमेस्टर	स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में अर्हकारी परीक्षा अनिवार्य विषयों सहित सभी विषयों में उत्तीर्ण।	अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक

- 5.7.1 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर नियम 6.1 की शर्तें लागू होंगी।
- 5.7.2 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (I से IV सेमेस्टर) की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पंचम सेमेस्टर में प्रवेश देय नहीं है। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में नियमित एवं तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर में स्वयंपाठी रहे अभ्यर्थी को पंचम सेमेस्टर में तालिका 5.7 में उल्लेखित पात्रता शर्तें पूरी करने पर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने वाले को महाविद्यालय में प्रवेश देय होगा।
- 5.7.3 महिला महाविद्यालयों में प्रवेश की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी तथा स्थान रिक्त होने पर उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

5.7.4 स्वयंपाठी विद्यार्थियों के प्रवेश पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जा सकेगा जबकि—

- (i) उस कक्षा के नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के उपरान्त स्थान रिक्त हों तथा वैकल्पिक विषय समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो।
- (ii) महाविद्यालय में शिक्षण के लिए भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध हों।

5.7.5 स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में स्नातकोत्तर पूर्वाह्न/प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तराह्न/तृतीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5.8 स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश

5.8.1 एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं होगा।

5.8.2 भिन्न-भिन्न स्थानों पर अवस्थित महाविद्यालयों में भी स्थानान्तरण की अनुमति माता-पिता/संरक्षक के स्थानान्तरण या महिला अभ्यर्थी के विवाह होने जैसी विशेष परिस्थिति में ही दी जायेगी। माता-पिता के जीवित रहते अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकेगा।

5.8.3 स्थानान्तरित कर्मचारी के पुत्र/पुत्री स्थानान्तरण स्थान व निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे।

5.8.4 संरक्षक के स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश तभी देय होगा जब आवेदक के प्राप्तांक उस कक्षा में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के अंकों से कम नहीं हों तथा उस महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध हो।

5.8.5 स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर कक्षाओं में स्थानान्तरण प्रवेश पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।

5.9 स्थान (सीटें) रिक्त रहने के स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया संबंधी निर्देश

समस्त योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट हो जाने तथा कोई भी विचाराधीन आवेदन पत्र लम्बित ना होने की स्थिति में किसी कक्षा में स्थान रिक्त रहने पर प्राचार्य, सामान्य श्रेणी सहित श्रेणीवार (कैटेगरीवाईज) रिक्त स्थानों की सूचना का विस्तृत प्रचार-प्रसार कर सात दिवस तक नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकेंगे तथा रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया अपनायेंगे।

5.10 मूल प्रमाण पत्र वापस लेने हेतु निर्देश

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यदि कोई प्रवेशित अभ्यर्थी मूल प्रमाण-पत्र वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसके मूल प्रमाण-पत्र लौटा कर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा प्रक्रिया शुल्क यदि कोई हो तो जमा रखते हुए शेष शुल्क लौटाया जावे। ऐसे रिक्त स्थानों पर वरीयता अनुसार अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

- 5.11 अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात महाविद्यालय में पुनः प्रवेश :
किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने के पश्चात यदि विद्यार्थी अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश होने के बाद टी.सी. लेकर महाविद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा कतिपय कारणवश यदि वह पुनः उसी सत्र में उसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है तो रिक्त स्थान होने की स्थिति में उसे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के 45 दिनों की अवधि में प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 5.12 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
- 5.13 आवेदित कक्षा की अन्तरिम प्रवेश सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक मूल प्रमाण-पत्रों की जांच एवं प्रवेश शुल्क जमा नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों (डीफाल्टर्स) को आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी स्थान रिक्त होने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया के अन्त में डिफाल्टर्स अभ्यर्थियों को प्रवेश केवल राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने की स्थिति में ही देय होगा।
- 5.14 कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 5.15 किसी कारणवश बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी इन्टरनेट/Digilocker की अंकतालिका से आवेदन कर सकेगा। मूल प्रमाण-पत्रों के भौतिक सत्यापन के समय मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन्टरनेट की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र सादा कागज पर प्रस्तुत करना होगा कि वह 15 दिवस में मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवा कर मूल टी.सी./सी.सी. जमा करवायेगा। पहले प्रस्तुत अंकतालिका एवं मूल अंकतालिका में विसंगति पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
- 5.16 जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑफ लाइन प्रवेश प्रक्रिया अनुमत है वहाँ विभागीय वेबपोर्टल से कॉमन एडमिशन फार्म डाउनलोड कर अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।
- 5.17 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने एवं भारत में स्थाईवास (LTV) चाहने के आधार पर राज्य में रह रहे पाक नागरिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रवेश के लिये आवेदन करने पर विदेशी नागरिकों हेतु निर्धारित शर्तों /पात्रताओं के अनुसार ही प्रवेश की अनुमति है। इस हेतु राज्य सरकार की पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रवेशितों की सूचना शिक्षण संस्थानों द्वारा संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी (DCP/FRO/FRRO) को दी जावेगी।
- 5.18 प्रवेश नीति के नियमों में किसी प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/ऑर्डिनेन्स मान्य होंगे। प्रवेश देते समय शैक्षणिक सत्र सारणी में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जाये। उपर्युक्त नियमों की क्रियान्विति में यदि किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव हो अथवा नियमों की व्याख्या में अस्पष्टता या भ्रम की

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

स्थिति होने पर आयुक्तालय/निदेशालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। नियमों के संबंध में आयुक्त/निदेशक, कॉलेज शिक्षा का निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा।

- 5.19 पाकिस्तान में स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के आधार पर भारतीय नागरिक/भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले नागरिक उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, किन्तु बिन्दु संख्या 5.17 में उल्लेखित छात्र प्रवेश के पात्र होंगे (यू.जी.सी. के परिपत्र दिनांक 22.04.2022)।
- 5.20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के पूर्व अनुमोदन के बिना चीनी जनवादी गणराज्य (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) से ऑनलाईन माध्यम से संचालित किये गये पाठ्यक्रमों को आयोग एवं परिषद मान्यता नहीं देते हैं। ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त की गयी डिग्री के आधार पर वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे (यूजीसी के परिपत्र दिनांक 25.03.2022)।
- 5.21 सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ
- प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन पत्र में स्पष्टतः यह अंकित कराना होगा कि सत्र के दौरान एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट, रोवर-रेंजर/खेल/वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/मानवाधिकार प्रकोष्ठ/कला एवं संस्कृति/नशा मुक्ति प्रकोष्ठ आदि सह शैक्षणिक एवं सामाजिक विस्तार गतिविधियों में से किन-किन गतिविधियों में वह भाग लेना चाहते हैं।
 - प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली समितियों/संकाय सदस्य/अन्य कोई एजेन्सी द्वारा परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर उनकी वर्ष पर्यन्त संचालित होने वाली गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी।
 - परामर्श के समय संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जावे।
 - गतिविधि वार विद्यार्थियों की सूची आयुक्तालय के संबंधित समन्वयक को प्रवेश समाप्ति के 15 दिवस उपरान्त उपलब्ध करायी जावे।
 - विद्यार्थी एक से अधिक गतिविधियों में भाग ले सकता है।
 - **प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर** के विद्यार्थियों को कोई न कोई एक गतिविधि आवंटित करना अनिवार्य होगा।
 - स्नातक **तृतीय से षष्ठम सेमेस्टर** एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी यथासंभव उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेंगे। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इन गतिविधियों से जुड़े हुये हैं,

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जावेगी। इस संबंध में समय-समय पर विभागीय वेबसाईट www.hte.rajasthan.gov.in पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

गतिविधि का नाम	कार्यक्रम सारिणी
1. एन.सी.सी.	एन.सी.सी. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2. एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
3. रोवर-रेंजर	स्काउट एवं गाईड मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
4. खेल/वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/ उपभोक्ता क्लब / मानवाधिकार प्रकोष्ठ/ कला एवं संस्कृति/नशा मुक्ति प्रकोष्ठ आदि गतिविधियां	संबंधित विश्वविद्यालय/आयुक्तालय/निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार

विशेष निर्देश:-

- राज्य अधिसूचना क्रमांक प.12(22)वित्त/कर/10-98 दिनांक 9-3-10 तथा कार्यालय, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 7(39)जन/10/5099-5132 दिनांक 10-4-10 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के प्रायोजन के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए अपेक्षित शपथ पत्रों पर संदेय स्टाम्प शुल्क का परिहार (माफ) किया गया है। इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।
- राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एआर/ग्रुप-1/2014 दिनांक 24.11.2014 के द्वारा 01 जनवरी 2015 से शपथ पत्र एवं दस्तावेज अभ्यर्थी के द्वारा स्वप्रमाणित मान्य होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

षष्ठम् भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

- 6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS)के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।
- 6.1.1 प्रत्येक संकाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत स्थान एवं कुल स्वीकृत सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें (क्षैतिज) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।
- 6.1.2 अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का स्थान देय है [संदर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 08.03.2019 राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019]/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। [संदर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 28.02.2019 राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019]/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए Income & Asset Certificate एक बार जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण-पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षों तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11()आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022) व सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों (सहशिक्षा) में प्रवेश हेतु कुल स्वीकृत सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें (क्षैतिज) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगी (उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.12(1)शिक्षा /ग्रुप-3/2024-03349 जयपुर दिनांक 06.02.2024)।
- 6.1.3 स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

- 6.1.4 आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जातिप्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.1.5 ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण-पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ-पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण-पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षों तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11() () आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/7376 – 409 दि. 24.01.2013)
- 6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।
- 6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।
- 6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
- 6.1.10 यदि विज्ञप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.1.11 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले के **समस्त राजकीय महाविद्यालयों** में शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट जयपुर दिनांक 12.09.2007 के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन बढ़ी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।

6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम सेमेस्टर की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक विषय/कक्षा में बिन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदनुसार पूर्ति की जायेगी।

6.2 दिव्यांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर)

6.2.1 मूक, बधिर एवं दृष्टिबाधित (Blind) विद्यार्थियों को मनोवांछित महाविद्यालय में मनोवांछित संकाय में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जावेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।

6.2.2 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 5 प्रतिशत स्थान दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिजवर्ती (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।

6.2.3 स्नातकोत्तर स्तर में आरक्षण विषयवार होगा। जहां यह संख्या एक से भी कम हो, वहां भी कम से कम एक स्थान आरक्षित रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रवेश की प्रथम सूची में इसे सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

6.2.4 बिन्दु 6.2.2 के अनुसार निर्धारित नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ भी दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त लाभ किसी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, योग्यता सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।

6.2.5 निःशक्तजन (दिव्यांग) को निःशक्तता के संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विशिष्टीकृत चिकित्सकीय प्राधिकरण द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र/UD ID (Unique Disability identity card) प्रस्तुत करना होगा। (भारत का राजपत्र 19 अप्रैल 2017 एवं राजस्थान राज-पत्र विशेषांक, जुलाई 26, 2011) जिला मुख्य चिकित्साधिकारी/पी.एम.ओ. जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

6.3 शिक्षक अभ्यर्थी

प्रत्येक विषय की एम.एससी. पूर्वार्द्ध कक्षा में एक स्थान शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रहेगा, जिसका मनोनयन निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह प्रवेश की न्यूनतम पात्रता रखता हो, अन्यथा इस आरक्षित स्थान को सामान्य स्थान मानकर प्रवेश की अन्तिम तिथि को सामान्य अभ्यर्थी से भर दिया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

6.4 प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल*(CAPF) कर्मियों के आश्रितों को प्रवेश हेतु देय लाभ

S.No.	Eligible Categories	Benefits
(i)	प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा में रहते हुए शहीद कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(ii)	प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु 03 प्रतिशत की वृद्धि
(iii)	प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल* (CAPF)/राजस्थान पुलिस के कर्मियों के वार्डस के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे, जिन्हें निम्न प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देय होगा – 1. Wards of personnel killed in action. 2. Wards of personnel disabled in action and boarded out from service/died while in service with death attributable to military service/ disabled in service and boarded out with disability attributable to military service. 3. Wards of personnel awarded Gallantry award. 4. Wards of awarded Ex servicemen.	प्राथमिकता अनुसार Reservation of 03% seats

*CAPF में CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, RPF, NSG सेवाओं के कर्मी सम्मिलित हैं।

6.5 कश्मीरघाटी विस्थापित और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार (Non-Migrants)/एक भारत श्रेष्ठ भारत

- 6.5.1. प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में एक प्रतिशत स्थान कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के बच्चों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा।
- 6.5.2. कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अन्तिम तिथि को इसे सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा। कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थियों को अन्तिम प्रवेश तिथि के 30 दिन बाद तक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश देने के लिए सभी पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रवेश सीटों को 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

- 6.5.3. इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को पात्रता प्रदान करने हेतु 3 प्रतिशत अंकों का लाभ देय होगा। यह लाभ वरीयता सूची में स्थान प्रदान करने के लिए नहीं होगा।
- 6.5.4. कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थी को इस नियतांश में प्रवेश पाने हेतु विस्थापित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6.5.5. प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक मानदण्ड की सीमा तक वरीयता सूची के कट ऑफ में 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- 6.5.6. प्रवेश के लिए राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 6.5.7. तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को प्रवेश तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से प्रवेश देने हेतु 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इस वर्ग के अभ्यर्थी यदि प्रवेश हेतु आवेदन नहीं करते हैं तो अन्तिम तिथि के बाद इन स्थानों को सामान्य भर्ती से भरा जा सकेगा।
- 6.5.8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ1-1/2012/एसए-3 दिनांक 10.03.15 के अनुक्रम में जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय की स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के लिए स्थान (अधिसंख्यक) उपलब्ध होंगे।
- 6.5.9. एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्रियान्वयन के अन्तर्गत असम राज्य से विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके प्रवेश हेतु प्रत्येक संकाय एवं पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त दो सीटें सृजित की जा सकेगी।
- 6.6. ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों का प्रवेश
- यदि तृतीय लिंग (थर्ड जेण्डर/ट्रांसजेण्डर) के किसी अभ्यर्थी द्वारा सहशिक्षा के महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो उसे निम्नानुसार प्रवेश दिया जावे:-
- विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों से अतिरिक्त सीटों पर न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश देय है।
 - इस वर्ग के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की लिंग संबंधी स्वयं की घोषणा आधार रहेगी।
(आयुक्तालय आदेश क्रमांक 383 दिनांक 23.6.2015) जिसका जनाधार कार्ड से सत्यापन किया जायेगा।
- 6.7. अभ्यर्थी को खेलकूद/सह शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर विगत तीन सत्रों (एन.सी.सी. जूनियर डिविजन में विगत पांच सत्रों) में खेलकूद/सह शैक्षणिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों परिलाभ स्नातक प्रथम सेमेस्टर/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश के समय ही दिया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

6.7.1 अभ्यर्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	(i) भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व (ii) अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व (iii) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता/उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (v) विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (एस.जी.एफ.आई) में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर (vi) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से दलीय खेलों में विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	(i) पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल का सदस्य (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त करने पर (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.)/नवोदय विद्यालय संगठन (एन.वी.एस.)/आई.पी.एस./सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में दलीय खेल हेतु विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेल हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से)	6 प्रतिशत
स	(i) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर (ii) अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन/सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) संगठन के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (iv) सी.बी.एस.ई. की क्लस्टर/जोन स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेलों हेतु विजेता/उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर)	5 प्रतिशत

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

द	(i) राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता का स्थान प्राप्त करने पर (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व/जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (v) केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) के रीजनल/ क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	3 प्रतिशत
य	(i) राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने पर (ii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर (v) सी.बी.एस.ई./केन्द्रीय विद्यालय संगठन /नवोदय विद्यालय संगठन/ आई.पी.एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की क्लस्टर/जोन/रीजनल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर।	2 प्रतिशत

विशेष टिप्पणी : (अ) के बिन्दु संख्या i व ii के अलावा उपरोक्त देय लाभ राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय/महाविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही देय होगा।

6.7.2 अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा

क्र.सं.	स्तर	जिनका प्रमाण-पत्र मान्य होगा
1.	अ (i) से (vi)	भारत सरकार के खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एस. जी.एफ.आई., सी.बी.एस.ई. संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी/आयोजन सचिव
2.	ब से स के (i) से (iv)	विश्वविद्यालय क्रीडा परिषद, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सी.बी.एस.ई. संगठन, आई.पी.एस. संगठन, सैनिक स्कूल संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी/आयोजन सचिव, आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।
3.	द का (i) से (v) एवं य का (i) से (v)	राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ के पदाधिकारी, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी/उपजिला शिक्षा अधिकारी/आयोजन सचिव/आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे:—

1. एथलेटिक्स (क्रॉस कंट्री दौड़ सहित)	19. जूडो
2. जलीय खेल (स्वीमिंग डाइविंग एवं वाटर पोलो)	20. मुक्केबाजी
3. बैडमिन्टन	21. मिनी गोल्फ
4. बास्केटबॉल	22. तीरन्दाजी
5. शतरंज	23. निशानेबाजी, एयर राइफल, एयर पिस्टल
6. क्रिकेट	24. सॉफ्टबॉल
7. साइकिलिंग	25. अमेरिकन फुटबॉल
8. फुटबाल	26. बॉल बैडमिंटन
9. हॉकी	27. नेट बॉल
10. कबड्डी	28. रोलबॉल
11. खो-खो	29. रग्बी
12. टेबिल टेनिस	30. स्कवैश रैकट
13. टेनिस	31. ताइक्वांडो
14. वॉलीबॉल	32. वुशू
15. हैण्डबाल	33. योगा
16. कुश्ती	34. पावर लिफ्टिंग
17. भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठव	35. ब्रिज
18. जिमनास्टिक	

6.7.3 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी. में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	सीनियर डिवीजन/विंग (तीन सत्रों में) जूनियर डिवीजन/विंग (पाँच सत्रों में)	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व।	न्यूनतम उत्तीर्णांक
ब	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार।	प्रतिशत पर प्रवेश
स	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर —	
	गणतंत्र दिवस कैम्प की प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय स्थान	6 प्रतिशत
	पैरा जम्पिंग कोर्स में स्काई डाइविंग कोर्स पूर्ण कर्त्ता कैडेट	
	एडवेन्चर माउन्टेनेयरिंग तथा एडवांस माउन्टेनेयरिंग कोर्स पूर्ण कर्त्ता कैडेट	
	सी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

	बी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	
	ए प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	
द	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना।	
	गणतंत्र दिवस कैम्प	
	अखिल भारतीय एडवांस लीडरशिप कैम्प	
	पैरा जम्पिंग कोर्स	
	आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग लेना।	
	विद्यार्थी विंग में सी प्रमाण पत्र बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	5 प्रतिशत
	विद्यार्थी विंग में बी प्रमाण पत्र बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	जूनियर डिवीजन विद्यार्थी ए प्रमाण पत्र बी ग्रेड के साथ	
	स्नो-स्कीइंगकोर्स	
	सीनियर अण्डर आफिसर/सीनियर कैडिट कैप्टन/कैडिट फ्लाईट सार्जेंट रैंक पर नियुक्ति	
य	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर।	
	सी प्रमाण-पत्र सी ग्रेड के साथ	
	बी प्रमाण पत्र सी ग्रेड के साथ	
	जूनियर डिवीजन ए प्रमाण-पत्र सी ग्रेड के साथ।	
	ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प	3 प्रतिशत
	ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स	
	नियमित सुरक्षा सेना के साथ दो सप्ताह का अटैचमेन्ट कोर्स	
	वॉटर स्कीइंग कोर्स	
	अण्डर ऑफीसर/कैडिट कैप्टन/कैडिट सार्जेंट रैंक पर नियुक्ति	

6.7.4 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर पर्वतारोहण, शिलारोहण एवं वॉलक्लाइम्बिंग में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र.सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुंच	6 प्रतिशत

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

स	विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित एडवांस कोर्स	5 प्रतिशत
द	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स	3 प्रतिशत

प्रमाण पत्रों की मान्यता के लिए बिन्दु 6.7.2 (3) में दिया गया नियम लागू होगा।

6.7.5 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय /राज्य स्तर पर पुरस्कृत स्वयं सेवक।	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड (दिल्ली) राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपस्थिति एवं 240 घंटों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर।	6 प्रतिशत
स	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में राज्य स्तर/विभाग स्तर पर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर।	5 प्रतिशत
द	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घण्टे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर।	3 प्रतिशत

6.7.6 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर रोवर, रेंजर, स्काउट, गाइड में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट/गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/ रेंजर पुरस्कार प्राप्त किया हो।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

ब	राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर अथवा राष्ट्रीय जम्बूरी/राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में शील्ड प्राप्त की हो।	5 प्रतिशत
स	तृतीय सोपान स्काउट/गाइड अथवा निपुण रोवर/रेंजर अथवा स्टेट रोवरमूट/रेंजर मीट में भाग लिया हो अथवा राज्य स्तरीय एडवेंचर गतिविधि अथवा डेजर्ट ट्रेकिंग शिविर में भाग लिया हो अथवा पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्स कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हो।	3 प्रतिशत

6.7.7 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सह शैक्षणिक गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
ब	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।	6 प्रतिशत
स	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व। टिप्पणी: उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा।	5 प्रतिशत
द	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उप विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	3 प्रतिशत

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

6.7.8 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब की गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. स.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	राज्य मानवाधिकार आयोग या अधिकृत संस्थाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य का प्रमाण पत्र होने पर	2 प्रतिशत
ब	विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब में सत्र पर्यन्त सहभागिता एवं एक विस्तार कार्यक्रम में उपस्थिति का प्रमाण –पत्र होने पर।	1 प्रतिशत

6.7.9 समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान पर अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु देय लाभ

	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ	मान्य प्रमाण-पत्र
अ	तीन सत्र तक लगातार राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में स्थित ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान करने पर	1 प्रतिशत	अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी
ब	साक्षरता अभियान में तीन सत्र में तीन व्यक्तियों को अर्थात् प्रति सत्र एक व्यक्ति को साक्षर करने पर	0.5 प्रतिशत	साक्षरता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण- पत्र
स	अपनी कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अपनी कक्षा की सम्पूर्ण पुस्तकें लगातार तीन सत्र तक बुक बैंक में जमा कराने पर	0.5 प्रतिशत	प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण-पत्र

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

6.7.10 महिला अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ।
अ	शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों में मान्यता प्राप्त संगठन से आत्मरक्षा की उच्चतम श्रेणी ब्लैक बेल्ट (Black Belt) योग्यताधारी छात्राओं के लिए। (आयुक्तालय का आदेश क्रमांक एफ 7 (4) विविध/अकाद/आकाशि/2024-03469 दिनांक 05.03.2024)	05 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे।
ब	महिला अभ्यर्थी (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित संकाय/विषय में अध्ययन की सुविधा स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय में उपलब्ध न हो)।	3 प्रतिशत (एम.बी.ए., कम्प्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)।

6.7.11 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा कॉलेज शिक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री।	3 प्रतिशत (एम.बी.ए., कम्प्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)।

- 6.8 जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जायेगी। यह लाभ तभी देय होगा, जबकि अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाण पत्र/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल द्वारा जारी डेथ समरी/मुख्यमंत्री सहायक कोष से कोविड-19 महामारी में मृतक के परिवारजन को दी गई आर्थिक सहायता के आदेश में कोविड-19 द्वारा मृत्यु होने का उल्लेख होने परमाता/पिता अथवा दोनों की एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में उनके पति की मृत्यु कोरोना से होना अंकित हो। ऐसे अध्ययनरत विद्यार्थियों को राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा (सम्पूर्ण शुल्क माफी) प्रदान किये जाने के साथ साथ राजकीय महाविद्यालयों में स्थित छात्रावासों में भी निःशुल्क प्रवेश दिया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved

- 6.9 नियम संख्या 6.7.1 से 6.7.11 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं हैं।
- 6.10 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र दोनों ओर से स्कैन कर अपलोड करना होगा। कॉमन एडमिशन फार्म के साथ सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति बाद में स्वीकार नहीं होगी। अन्तरिम प्रवेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.11 उपर्युक्त नियम 6.7.1 से 6.7.10 में वर्णित लाभों में से किसी एक का लाभ (जो अधिकतम हो) अभ्यर्थी को देय होगा।
- 6.12 उपर्युक्त नियम 6.7.1 से 6.7.10 में वर्णित लाभों में से किसी एक गतिविधि में एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही लाभ देय होगा।
- 6.13 प्रवेश शुल्क— छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजकीय निधि तथा महाविद्यालयों द्वारा स्थानीय निधि मदों की राशि ली जायेगी। छात्रा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(3)शिक्षा/ग्रुप-3/2019 दिनांक 05.03.2019 द्वारा प्रदेश की सभी वर्ग की समस्त छात्राओं/महिलाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रवेश के समय ली जाने वाली केवल राजकीय निधि मदों की राशि माफ रहेगी। **(उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग का आदेश क्रमांक प. 6 (3) शिक्षा/ग्रुप-3/2019 जयपुर दिनांक 05.05.2019)**
- 6.14 शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों में मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अल्प आय वर्ग, लघु/सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवारों के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की राजकीय निधि कोष की देय राशि माफ होगी। **(उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग का आदेश क्रमांक प.6(1)शिक्षा/ग्रुप-3/2024-03501 दिनांक 07.03.2024)**

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.02 13:22:00 IST
Reason: Approved